संख्या - 012/वी.जी.एल/020
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए,
नई दिल्ली-110023
दिनांक: 29.03.2012

परिपत्र सं0 08/03/12

विषय: अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अभियोजन अनुरोधों की स्वीकृति - प्रक्रिया संबंधी ।

आयोग के ध्यान में यह लाया गया है कि अन्वेषण एजेंसी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के अभियोजन की पूर्व स्वीकृति मांगने वाले अपने प्रस्तावों को भेजते समय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27.10.1999 के परिपत्र सं0 107/8/99-एवीडी.1 में दिए गए निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, उक्त परिपत्र राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के सभी मुख्य सचिवों को संबोधित है । प्राय: यह पाया जाता है कि ऐसे अभियोजन प्रस्ताव/अनुरोध, विश्वसनीय दस्तावेजों/साक्ष्यों आदि के पूरे सेट के साथ नहीं होते हैं जिसके कारण सक्षम प्राधिकारी ऐसे मामलों में कोई दृष्टिकोण लेने की स्थिति में नहीं होते हैं । इसके अतिरिक्त, अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों के संबंध में जो राज्य सरकार के कार्यों के संबंध में सेवारत हैं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19(1) के अनुसरण में ऐसी स्वीकृति, केन्द्रीय सरकार; अर्थात भा.प्र.से. अधिकारियों के संबंध में कार्मिक एवं प्राशिक्षण विभाग, भा.पु.से. अधिकारियों के संबंध में गृह मंत्रालय तथा आई.एफ.एस. अधिकारियों के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है । जब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा आईएएस/आईपीएस/आईएफएस अधिकारियों के विरूद्ध ऐसी स्वीकृति की आवश्यकता हो तथा संबंधित अधिकारी राज्य सरकार के कार्यों के संबंध में सेवारत हो तब राज्य सरकार के अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी को रिकार्ड पर साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच करनी होती है तथा उसपर अपने विचारों/सिफारिशों के साथ केन्द्रीय सरकार को दस्तावेज भेजने होते हैं तथा साथ ही अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 197(1) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी स्वीकृति, यदि कोई हो, भी भेजी जाती है ।

2. केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8(1) (च) के अंतर्गत आयोग को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति के लिए लंबित आवेदनों की प्रगति की समीक्षा करने का अधिकार दिया गया है । इस संदर्भ में, यह प्रेक्षित किया गया है कि राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा अभियोजन की स्वीकृति के अनुरोधों पर कार्रवाई करने में अत्यधिक विलंब होता है । सर्वोच्च न्यायालय ने विनीत नारायण बनाम भारत संघ मामले में तीन माह की समय सीमा का निर्धारण किया है जिसका सख्ती से पालन किए जाने की आवश्यकता है तथा एक माह का अतिरिक्त समय वहां अनुमत है जहां महान्यायवादी अथवा उनके कार्यालय में किसी विधि अधिकारी से परामर्श अपेक्षित है । हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने 2012 की सीए सं0 1193 में अभियोजन मामलों की स्वीकृति पर निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारियों के लिए निर्धारित उपर्युक्त समय सीमा को पुन: दोहराया है । स्वीकृति जारी करने में विलंब,

अभियोजन चलाने में अवरोध पैदा करता है जिसके कारण कार्यवाहियों को पूरा करने में विलंब होता है । ऐसे विलंब लोक सेवकों के मनोबल को भी बुरी तरह से प्रभावित करते हैं ।

3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19(1) अथवा अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 197(1) के अंतर्गत ए.आई.एस. अधिकारियों की अभियोजन स्वीकृति के मामलों पर कार्रवाई करते समय, राज्य सरकार की सभी अन्वेषण एजेन्सियों, सक्षम प्राधिकारियों तथा केन्द्रीय सरकार में संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों को सलाह दी जाती है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27.10.1999 के परिपत्र सं0 107/8/99-एवीडी.1 द्वारा जारी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि अभियोजन की स्वीकृति हेतु प्राप्त हुए अनुरोधों पर समय से कार्रवाई की जाए तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई समय सीमा के अनुसार निर्णय लिया जाए ।

ह0/-
(अनिल कुमार सिन्हा)
अपर सचिव

सेवा में

1. राज्य सरकारों/संघशासित प्रशासनों के सभी मुख्य सचिव ।
2. सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ।
3. सचिव, गृह मंत्रालय ।
4. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ।
5. निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ।